



सं.सं.०६१५/२०२०

पत्रांक : वाई०ई०ए० / वित्त / ...158 / 2020

दिनांक : 30 जून, 2020

### संशोधित कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सभी प्रकार के देयों के संबंध में ब्याज दर को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या - वाई०ई०ए० / वित्त / 100 / 2020 दिनांक 10.06.2020 को अतिक्रमित करते हुये ब्याज दर को पुनः निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये :-

1. प्राधिकरण के सभी प्रकार के देयों हेतु दिनांक 01.07.2020 से 8.50 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर देय होगी। यह ब्याज दर तीन वर्ष की अवधि के ऋण हेतु एस०बी०आई के एम०सी०एल०आर० दर के आधार पर शासनादेश में उल्लिखित फार्मूले के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 01 जनवरी और 01 जुलाई को पुर्ननिर्धारित की जायेगी।
2. समय से देयों को भुगतान न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज दर  $(8.50\% + 3\%) = 11.50\%$  प्रतिशत (प्रत्येक 06 माह में कम्पाउडिंग करते हुये) लागू होगी।
3. उर्पयुक्त दरें 01.07.2020 से लागू होंगी न कि भूतलक्षी प्रभाव से।
4. एस०बी०आई० पी०एल०आर० पर आवंटित परिसम्पत्तियों के लिये उनके आवंटन पत्र / लीज डीड में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ब्याज देय होगा।

अतः प्राधिकरण के सभी मदों की देयताओं में ब्याज दरों पर उक्त व्यवस्था लागू की जाती है।

*Samadhan* 30/6/2020  
(डा० अरुण वीर सिंह)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
2. संबंधित समस्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ
3. गार्ड फाईल।
4. प्रबन्धक, सिस्टम के आ-सर्वनाहरे चेड।

(डा० अरुण वीर सिंह)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

प्रथम तल, कॉमर्षियल कॉम्प्लेक्स, ब्लाक- पी-2, सेक्टर-आमेगा-1 ग्रेटर नौएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)  
दूरभाष न० - 0120 - 2395151 एवं 53, फैक्स न० - 0120 - 2395150